



डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0/2894/2023 दिनांक:-20.02.2023

कार्यालय-ज्ञाप


अवगत हो कि शासन के ऑनलाइन पोर्टल <http://henoc.upsdc.gov.in> के माध्यम से नवीन महाविद्यालय एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन अतिरिक्त विषय/पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय से (NOC) अनापत्ति प्राप्त ऐसे समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित संलग्न समय-सारिणी के अनुसार नियमानुसार निरीक्षण मण्डल गठन हेतु दिनांक 22.02.2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें साथ ही निर्धारित निरीक्षण मण्डल गठन फीस रू0 10,000/- एवं सम्बद्धता फीस रू0 25,000/-, शुल्क ऑनलाइन जमा करते हुये जमा जनराशि को विश्वविद्यालय स्थित इण्डियन बैंक, पालीवाल पालीवाल परिसर, आगरा से प्रमाणित कराकर नियमानुसार/मानकानुसार पत्रावली दिनांक 23.02.2023 तक प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय में उपलब्ध करा दें। जिससे निरीक्षण मण्डल गठन सम्बन्धी प्रक्रिया पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

नोट:-उक्त तिथि के उपरान्त कोई भी ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधीक्षक-कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्राचार्य/सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
3. बेवसाइट प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि सूचना को विश्वविद्यालय बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।


कुलसचिव

- 3- **शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु प्राप्त होने वाले नये आवेदन पत्र के संबंध में समय-सारणी**
 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिये अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु नये आवेदन प्रस्तुत करने और उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उनके ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारणी निर्धारित की जाती है :-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 01 सितंबर से 31 दिसंबर, 2022 तक।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 15 सितंबर से 31 जनवरी, 2023 तक। (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तद्दोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक।
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तद्दोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 15 अप्रैल, 2023 तक।
6	सदस्य-सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना।	दिनांक 18 अप्रैल, 2023 तक।
7	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 28 अप्रैल, 2023 तक।
8	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 मई, 2023 तक।